

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री ओम प्रकाश लक्षकार प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दपुरा (नागौर) को वित्त विभाग आदेश क्रमांक एफ.6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत चिकित्सा विभाग, राजस्थान-सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक SAP/2017/459373 Date: 28/11/2017 की अभिशंषा पर दिनांक 19.12.18 से इनके मूल वेतन का 6%(प्रतिशत) जो रू0 600/- (छःसौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ।

श्री ओम प्रकाश लक्षकार प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दपुरा (नागौर) को (आकस्मिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) अवकाश काल, कार्यभार सम्भालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा ।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्थॉ/ए-2-7/विकलांग भत्ता/2017

दिनांक: 05-03-2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, कुचामन सिटी (नागौर)।
2. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दपुरा (नागौर) ।
3. श्री ओम प्रकाश लक्षकार प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दपुरा (नागौर)।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कामिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर